

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0-प्र0-01/ल0ख0(विविध)-01/17-...२०९...../एम0, पटना, दिनांक...११/११/१८..

प्रेषक,

E-mail/Fax

सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता

विषय:- साधारण मिट्टी/ईट भट्ठा के खनन योजना को अनुमोदित करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 7655/एम0 दिनांक 22.12.17

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्रांक 7655/एम0 दिनांक 22.12.17 के द्वारा साधारण मिट्टी का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों तथा कार्य विभाग के संवेदकों के लिए सामान्य शर्तों का निर्धारण कर प्रेषित किया गया था। इन शर्तों की कंडिका क्रमशः 20 एवं 9 में खनन योजना के अनुमोदन हेतु DEIAA को भी सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय ज्ञापांक 4156/एम0 दिनांक 22.12.2016 द्वारा ईट मिट्टी एवं साधारण मिट्टी की खनन योजना के अनुमोदन की शक्तियाँ जिला स्तर पर खान एवं भूतत्व विभाग के अधीनस्थ जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी यथा सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को प्रदत्त की गयी थी। इस आदेश के तहत राज्य के विभागीय जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी भी ईट मिट्टी एवं साधारण मिट्टी भी खनन योजना को अनुमोदन के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे।

३६७  
११/११/१८

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0-प्र0-01/ल0ख0(विविध)-01/17-...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

E-mail/Fax

सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता

विषय:- साधारण मिट्टी/ईंट भट्ठा के खनन योजना को अनुमोदित करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 7655/एम0 दिनांक 22.12.17

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्रांक 7655/एम0 दिनांक 22.12.17 के द्वारा साधारण मिट्टी का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों तथा कार्य विभाग के संवेदकों के लिए सामान्य शर्तों का निर्धारण कर प्रेषित किया गया था। इन शर्तों की कंडिका क्रमशः 20 एवं 9 में खनन योजना के अनुमोदन हेतु DEIAA को भी सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय ज्ञापांक 4156/एम0 दिनांक 22.12.2016 द्वारा ईंट मिट्टी एवं साधारण मिट्टी की खनन योजना के अनुमोदन की शक्तियाँ जिला स्तर पर खान एवं भूतत्व विभाग के अधीनस्थ जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी यथा सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को प्रदत्त की गयी थी। इस आदेश के तहत राज्य के विभागीय जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी भी ईंट मिट्टी एवं साधारण मिट्टी भी खनन योजना को अनुमोदन के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक .....२०१...../एम0 पटना, दिनांक ...११/११/१८.....

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव-सह-निदेशक कोषांग/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३१/११/१८

सरकार के अवर सचिव